अति आवश्यक
महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 2316 /विधि /प्र.अ./लो.स्व. यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 11/03/2024

प्रति,

(1) समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र ——————
वि./यां. परिक्षेत्र——————

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंडल/परियोजना मंडल ——————

(3) समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड ——————

विषय :– विभागीय सेवानिवृत्त कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना के कर्मचारियों द्वारा दैनिक वेतन भोगी सेवा अवधि को कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना की सेवा अवधि में पेंशन प्रयोजन हेतु जोड़ने की मांग सम्बन्धी न्यायलयीन प्रकरणो के **प्रतिरक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन** एवं **अभ्यावेदन निराकरण आदेश का प्रारूप** उपलब्ध कराने विषयक ।

स्पीड पोस्ट

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 15962 दिनांक 22/12/2023, पत्र क्रमांक 1134 दिनांक 05/02/2024 एवं पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 21/02/2024

00

कृपया विभागीय सेवानिवृत्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा पेंशन की मांग अथवा विभागीय सेवानिवृत्त कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना के कर्मचारियों द्वारा दैनिक वेतन भोगी सेवा अवधि को कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना की सेवा अवधि में पेंशन प्रयोजन हेतु जोड़ने की मांग सम्बन्धी न्यायलयीन प्रकरणो के प्रतिरक्षण के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे।

कृपया ध्यान दे कि ऐसे प्रकरणों को तीन अलग –अलग श्रेणियों में रखकर अलग –अलग प्रकार से प्रतिरक्षण करने के निर्देश जारी किये गए है, जो निम्नानुसार है :–

क्र	प्रकरण की श्रेणी	प्रतिरक्षण
1	ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जो दैनिक वेतन भोगी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर किये जाते है ।	इन प्रकरणों के प्रतिरक्षण हेतु मुख्य तौर पर माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 7068/2022 (सुनीता बर्मन बनाम कमिश्नर म. प्र. हाउसिंग बोर्ड) में पारित निर्णय दिनांक 14/10/2022, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट अपील क्रमांक 226/2018 (म. प्र. शासन एवं अन्य बनाम इसरत मोहम्मद) में पारित निर्णय दिनांक 06/03/2019, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट याचिका क्रमांक 1180/2015 (हीरालाल बनाम म. प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 06/08/2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 29982/2023 (अशोक कुमार शर्मा बनाम म. प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 19/12/2023 का उपयोग किये जाने का परामर्श है । पूरक प्रतिरक्षण हेतु माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 3155/2023 (उदय प्रताप ठाकुर बनाम बिहार राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 28/04/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 505–. 531/2020 (परमेश्वर नंदा आदि बनाम झारखण्ड राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 07/02/2020 का उपयोग किये जाने का परामर्श है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1134 दिनांक 05/02/2024 एवं पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 21/02/2024 समस्त न्याय दृष्टांतो सहित जारी किये गए है
2	ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जो 01 जनवरी 2005 के पूर्व कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना में शामिल किये गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर किये जाते है ।	इन प्रकरणों के प्रतिरक्षण हेतु मुख्य तौर पर माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 3155/2023 (उदय प्रताप ठाकुर बनाम बिहार राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 28/04/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 505–.531/2020

		(परमेश्वर नंदा आदि बनाम झारखण्ड राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 07/02/2020 का उपयोग किये जाने का परामर्श है । पूरक प्रतिरक्षण हेतु माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 7068/2022 (सुनीता बर्मन बनाम कमिश्नर म. प्र. हाउसिंग बोर्ड) में पारित निर्णय दिनांक 14/10/2022, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट अपील क्रमांक 226/2018 (म. प्र. शासन एवं अन्य बनाम इसरत मोहम्मद) में पारित निर्णय दिनांक 06/03/2019, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट याचिका क्रमांक 1180/2015 (हीरालाल बनाम म. प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 06/08/2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 29982/2023 (अशोक कुमार शर्मा बनाम म. प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 19/12/2023 का उपयोग किये जाने का परामर्श है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1134 दिनांक 05/02/2024 एवं पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 21/02/2024 समस्त न्याय दृष्टांतो सहित जारी किये गए है।
3	ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जो 01 जनवरी 2005 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना में शामिल किये गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर किये जाते है ।	इन प्रकरणों के प्रतिरक्षण हेतु मुख्य तौर पर कर्मचारियों के नियुक्ति आदेशों का उपयोग किये जाने का परामर्श है जिनमे यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि उन पर म. प्र. शासन द्वारा 01 जनवरी 2005 से लागू कि गयी **अंशदायी पेंशन योजना** लागू होगी तथा इसी शर्त को स्वीकार करके उन्होंने नियमितीकरण के उपरांत की अपनी सेवाएं दी है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 15962 दिनांक 22/12/2023 के माध्यम से पृथक से निर्देश भी जारी किये गए है ।

कृपया इस प्रकृति के न्यायालयीन प्रकरणों के प्रतिरक्षण में ऊपर उल्लेखित परामर्श का अनुसरण सुनिश्चित करे । तथापि यह पाया गया है कि ऐसे अधिकांश मामलो में माननीय